

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27-11-17	<p>पञ्जावली आज्ञा पत्र हुई। वकील वरी एन-एल. श्री विश्वेश्वर शर्मा उषी. वारी के कारिलान उषी. वकील उत्तियारी श्री दिनेश कुमार शर्मा व उत्तियारी न. 19. स्वयं उषी. वारी के कारिलान स्वयं उषी स्थित होकर ज्ञां पत्र काकत स्वार्थिज किने जाने - कार पत्र फेर किया। श. फा. हो। अधीगणो ने ज्ञां पत्र में संकित तथ्यों से दौहराते हुए कथन किया है कि आज्ञा पत्रावली कास्ते काममें सुपाम कार्यवाही में स्थित है अधीगण उनवानी उषरण के वारी गोपीराम उषी गोपीलाल पुत्र गंगाकृष्ण उषी गंगाविष्णु के कारिलान है उषरण के वारी और अधीगण के पिता श्री मूल्य 5-5-2017 को से चुरी है जिसका मूल्य प्रमाण पत्र की दायी गति व का. गुण ज्ञां पत्र पत्रावली में पूर्व में उषृत किया हुआ है जो शामिल पत्रावली है। अधीगण सब उक्त कार पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते है तथा उत्तियारीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही लम्बित नहीं रखना चाहते है। कार विवाद से आपसी जेम व भाई चारा खत्म होकर डेज की भावना उत्पन्न होती है जिससे कि कार विवाद बढ़ते है। अधीगण व उत्तियारीगण एक स्थान पर रहने वाले है और सब स्थान पर रहना चाहते है। सब इस परिगण</p>

177
 मेरठ मु. 2
 उमेश
 पाठस
 कमली

मि. गजपति

मि. नौसर

प्रतिवादीगण

~~21/11/2017~~
 21/11/2017

21/11/17

Dd by

~~मि. 13~~

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------	---------------------------	----------------------	-------------

उत्तर की कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रकरण को स्वार्थि फाइल में रखा जाय।

हमने फाइल की अवलोकन किया तथा उत्तर प्राप्त या अवलोकन किया गया। वादी के कारिगार ने वाद पत्र को आगे चलाया नहीं चाहते हैं तथा उत्तरकारिगार के विरुद्ध किसी भी उत्तर की कोई कार्यवाही लाभित नहीं करना चाहते हैं प्रकरण को स्वार्थि करने हेतु निवेदन किया है जिस पर उत्तरकारिगार व वकील प्रतिवादी नं. 1 व 2 को कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। ऐसी स्थिति में वादी का उत्तर स्विकार किया जाय। वादी का वाद स्वार्थि फाइल में रखा जाय। वादी के कारिगार द्वारा उत्तर प्राप्त या अवलोकन स्विकार किया जाय। वाद वादी स्वार्थि फाइल में रखा जाय। फाइल की कुल शुद्ध होना नम्बर से कम हो। वाद तर्कमूलक जायदादा कार्यवाही दफ्तर में।

आदेश खुले मामला सुनना 15/11/20

3
 उप खण्ड अधिकारी
 बस्सी जिला जयपुर